


715min, 713min, 1106min, 1114min, 1124min, 1222min

24




₹.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

प्रदेश UTTAR PRADESH

SS29



विक्रय मूल्य	-रु० 2,84,000/-
मालियत	-रु० 2,84,000/-
स्टाम्प	-रु० 20,000/-
परगना	- मोहनलालगंज


### विक्रय विलेख

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज, लखनऊ







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

3. मोहल्ला/ग्राम - बकवास, लखनऊ
4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा सं०-715मि०, 713मि०, 1106मि०, 1114मि०, 1124मि०, 1222मि०,
5. मापन की इकाई -हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल-0.071 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)  
-सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण (लिक/खडण्जा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)-नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन - X

3

सुल्तानपुर

५



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 363358

(3)

12. बोरिंग/कुआं/अन्य - x
13. निर्माण का वर्ष - x
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 2,84,000/- रुपये

खसरा संख्या-715मि0 की चौहद्दी

पूरब : भूमि ख0 सं0-1190  
पश्चिम : भूमि ख0 सं0-716  
उत्तर : भूमि ख0 सं0-714, 1210  
दक्षिण : भूमि ख0 सं0-717

*(Signature)*

*(Signature)*



भारतीय नैर न्यायिक INDIA. COURT JUDICIAL

₹.5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 44757

(4)

खसरा संख्या-713मि० की चौहद्दी

- पूरुब : भूमि ख० सं०-1210  
पश्चिम : भूमि ख० सं०-703, 704 व 712  
उत्तर : भूमि ख० सं०-1212 व 1211  
दक्षिण : भूमि ख० सं०-714

खसरा संख्या-1106मि० की चौहद्दी

- पूरुब : भूमि ख० सं०-1104 व 1105  
पश्चिम : चकमार्ग  
उत्तर : भूमि ख० सं०-1125  
दक्षिण : भूमि ख० सं०-1107

*Signature*

-----5



(5)

खसरा संख्या-1114मि० की चौहद्दी

पूरुब : भूमि ख० सं०-1113  
पश्चिम : भूमि ख० सं०-953  
उत्तर : भूमि ख० सं०-1115  
दक्षिण : भूमि ख० सं०-957

खसरा संख्या-1124मि० की चौहद्दी

पूरुब : भूमि ख० सं०-1125  
पश्चिम : भूमि ख० सं०-1123  
उत्तर : भूमि ख० सं०-1127  
दक्षिण : भूमि ख० सं०-1118

खसरा संख्या-1222मि० की चौहद्दी

पूरुब : भूमि ख० सं०-1223  
पश्चिम : भूमि ख० सं०-1221  
उत्तर : भूमि ख० सं०-1242  
दक्षिण : भूमि ख० सं०-692

प्रथम पक्ष की संख्या (1)                      द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

भुईयादीन पुत्र औसान निवासी-ग्राम नई बस्ती, अर्जुनगंज, लखनऊ, 30प्र०।


क्रेता का विवरण

सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-म०नं०-4/2, टाईप-4, पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, 30प्र०।

मनकि भुईयादीन पुत्र औसान निवासी-ग्राम नई बस्ती, अर्जुनगंज, लखनऊ, 30प्र०, (विक्रेता) का हैं:-

जो कि विक्रेता आराजी खसरा संख्या-715मि० रकबा 0.054 हे०, खसरा संख्या-713मि० रकबा 0.056 हे०, खसरा संख्या-1106मि० रकबा 0.063 हे०, खसरा संख्या-1114मि० रकबा 0.032 हे०, खसरा संख्या-1124मि० रकबा 0.048 हे०, खसरा संख्या-1222मि०

-----6





रकबा 0.031 हे०, कुल छः किता कुल रकबा 0.284 हे० का 1/4 भाग यानी 0.071 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के संक्रमणीय सहस्वातेदार भूमिधर दर्ज है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरुरत होशो हवारा में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमायशी को बकीमती मुबलिग रूपया-2,84,000/- (दो लाख चौरासी हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया- 1,42,000/- (एक लाख ब्यालीस हजार रूपया मात्र) होते हैं, में बदस्त सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-म०न०-4/2, टाईप-4, पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ०प्र०, (क्रेता) के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा देखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी



या उज्जदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्ज का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण या आबादी/आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.071 हेक्टेअर है, जिसकी मालिकयत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य रूपया 40,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के

पुरखे

---




अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिंग रूपया-2,84,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/ 11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-20,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह बैनामा समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

#### विवरण भूमि विक्रीशुदा

आराजी खसरा संख्या-715मि0 रकबा 0.054 हे0,  
खसरा संख्या-713मि0 रकबा 0.056 हे0, खसरा  
संख्या-1106मि0 रकबा 0.063 हे0, खसरा संख्या-1114मि0  
रकबा 0.032 हे0, खसरा संख्या-1124मि0 रकबा 0.048  
हे0, खसरा संख्या-1222मि0 रकबा 0.031 हे0, कुल छः  
किता कुल रकबा 0.284 हे0 का 1/4 भाग यानी 0.071  
हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम-बक्कास, परगना  
व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।













तफसील बसूलयाबी जुरसमन

कुल विक्रय मूल्य रूपया-2,84,000/- (दो लाख चौरासी हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नकद प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।


लखनऊ

दिनांक : 11.03.2014

1. गवाह :  ह0 विक्रेता  
पता :    
पता :  

2. गवाह :  ह0 क्रेता  
पता :    
पता :  







टाइपकर्ता  
  
(अनिल बालाजी)  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता  
  
(मुकेश मणि त्रिपाठी)  
एडवोकेट  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।



0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

आसराजी खासरा संख्या-715मि० रकबा 0.054 हे०, खासरा संख्या-713मि० रकबा 0.056 हे०, खासरा संख्या-1106मि० रकबा 0.063 हे०, खासरा संख्या-1114मि० रकबा 0.032 हे०, खासरा संख्या-1124मि० रकबा 0.048 हे०, खासरा संख्या-1222मि० रकबा 0.031 हे०, कुल छ किता कुल रकबा 0.284 हे० का 1/4 भाग तानी 0.071 हेक्टर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-बलरामपुर।



हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रोता

आज दिनांक 11/03/2014 को  
बही नं. 1 खिन्ट नं. 4476  
पृष्ठ नं. 393 से 412 पर कथारक 3981  
संशुद्धीकृत किया गया :

संशुद्धीकरण आदेशक के द्वारा

अर्पिता शर्मा पाण्डेय  
उ.नि.मोहनलालगंज  
लखनऊ  
11/03/2014